न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35 / 2018

अपीलांट्स–

1. दाड़म पुत्र गुणेशा
2. भवंरा पुत्र गुणेशा
3. दुर्गा पुत्र मेहरा
4. मुकना पुत्र मेहरा
5. मंगला पुत्र मेहरा
6. मिश्रा पुत्र मेहरा
7. ओमप्रकाश पुत्र नानगा
8. छगनलाल पुत्र नानगा
9. पुरखाराम पुत्र नानगा
10. गिरधारी पुत्र सोना
11. गोकला पुत्र सोना
12. चोगा पुत्र सोना
13. मोबता पुत्र सोना
14. गोपा पुत्र सोना
15. भंवरा पुत्र सोना
16. हरखा पुत्र सोना
17. हेमा पुत्र सोना
18. ओमप्रकाश पुत्र फोजा

    जाति माली निवासी रामसर का कुआं, तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –

1. गिरधारी पुत्र मेहरा जाति माली निवासी रामसर का कुआं तहसील बाड़मेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.02.2013 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निर्णय

दिनांक : 25/09/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 18.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा रामसर का कुआं के खसरा नम्बर 775 रकबा 105–08 बीघा एवं मौजा घोनरी तालर के खसरा नम्बर 06 रकबा 36–14 बीघा कुल 142–02 बीघा के खातेदारान गिरधारी, गोकला, चोगा, मोबता, गोपा, भंवरा, हरखा, हेमा पि0 सोना, ओमप्रकाश पुत्र फोजाराम 1/3, दाड़म, भंवरा पि0 गुणेशा 1/3, दुर्गा 1/21, मुकना 1/21, नानगा 1/21 गिरधारी 1/21, मंगला 1/21, मिश्रा 2/21 पि. मेहरा कौम माली सा0 शिवकर खातेदारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन स्वीकृति दिनांक 18.02.2013 को जारी की गई। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 18.02.2013 पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलकर्ता एवं रेस्पोडेंट ने कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। पक्षकारान अनपढ़ होने से विश्वास में तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अंगुष्ठ–हस्ताक्षर कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभाजन नक्शा एवं मौके पर कब्जा–काश्त मे तरमीम मे भिन्नता होने के कारण अपीलांट व रेस्पोडेंट को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृति से पूर्व मौके की जांच नही की गई और न ही मौके पर जाकर पैमाईश कर भूमि की गुणवता, भौतिक स्थिति व रास्ता

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

की उपयोगिता को ध्यान मे रखा गया। इस प्रकार विभाजन करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नही करने से यह सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हुई है, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना एवं राजस्व नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाड़ा का इकरारनामा पर पारित आदेश काबिल अपास्त है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि एक माह पूर्व जब अपीलांट अपने कब्जे–काश्त की भूमि मे काश्त करने लगे तब रेस्पोडेंट द्वारा काश्त करने पर विरोध किया गया। अपीलांट को बताया गया कि बंटवाड़ा मे यह जमीन रेस्पोडेंट के नाम हो गई है इस कारण अपीलांट को इस जमीन पर काश्त करने का कोई अधिकार नही हैं। इस पर राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली तब सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि अपीलाधीन आराजी गलत रूप से बंटवारा करवा दिया गया। इस प्रकार जानकारी होने की तिथी से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर विलम्ब को क्षमा कर स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील के तथ्यों को स्वीकार कर जवाब मे प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन सहमति से अवश्य हुआ था किन्तु इससे पूर्व मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश नहीं होने से कब्जे एवं रेकर्ड मे भिन्नता आ रही है तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो गया हैं। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावें कि मौके कब्जे की जांच एवं पैमाईश उपरांत पक्षकारान के हिस्सा अनुसार विभाजन की कार्यवाही नये सिरे से करें।

7. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रामसर का कुआं के खसरा नम्बर 775 रकबा 105–08 बीघा एवं मौजा घोनरी तालर के खसरा नम्बर 06 रकबा 36–14 बीघा कुल 142–02 बीघा के खातेदारान गिरधारी, गोकला, चोगा, मोबता, गोपा, भंवरा, हरखा, हेमा पि0 सोना, ओमप्रकाश पुत्र फोजाराम 1/3, दाड़म, भंवरा पि0 गुणेशा 1/3, दुर्गा 1/21, मुकना 1/21, नानगा 1/21 गिरधारी 1/21, मंगला 1/21, मिश्रा 2/21 पि. मेहरा कौम माली सा0 शिवकर खातेदारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2013 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विभाजन एग्रीमेंट स्वीकार कर रेकर्ड मे अमलदरामद हेतु अपीलाधीन आदेश जारी किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का कथन हैं कि उक्त विभाजन से पूर्व मौके पर कब्जे–काश्त की जांच एवं पैमाईश नही होने से मौके कब्जे एवं नक्शा मे तरमीम मे भिन्नता आ रही है, जिसके फलस्वरूप पक्षकारान के आपस मे विवाद उत्पन्न हो गया हैं। इसके समाधान हेतु सभी पक्षकारान ने नये सिरे से विभाजन कराये जाने हेतु सहमति प्रकट की है, लिहाजा पक्षकारान की सहमति के आधार पर अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 18.02.2013 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते

9. आदेश आज दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)